

9.2.24

उपयुक्त उद्य. | मा. राजस्व मंडल राज. अफेयर के पत्रांक T.A/
निगा / 2023/6235 / गंगागाढ / 2.2.24 / 11577 दिनांक 20.11.2023 के
द्वारा न्यायालय की प्रज्ञापनी सं. 319/22 न्यायालय के निर्दिष्ट दिनांक
17.10.23 के विचार्य पाही गई। आरोपों की प्रालता के न्यायालय
की प्रज्ञापनी सं. 319/22 मा. राजस्व मंडल अफेयर के प्रकृत को
जानके पश्चात्तरात स्थित रहे।

आदेश उगादा गदा
उपखण्ड अधिकारी
सुरतगढ़ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर

क्रमांक/राजस्व/प्रा0पत्र/319/2022/09.02.2024/3057 दिनांक:-26.02.2024

श्रीमान निबन्धक महोदय,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर।

विषय:-राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 319/2022 अनवान नवज्योत कौर बनाम
दलवीर सिंह आदि अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. भिजवाने हेतु।

प्रसंग:-आपका पत्रांक/टीए/निग/2023/6235/गंगानगर/02/02
/24/11577 दिनांक 20.11.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक द्वारा चाही गई पत्रावली संख्या 319/2022
अनवान नवज्योत कौर बनाम दलवीर सिंह आदि अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 निर्णय
दिनांक 17.10.2023 (प्रा0पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार करने के विरुद्ध) कुल
पृष्ठ-53. इस पत्र के संलग्न अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न:-एक पत्रावली

भवदीय



(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़